राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 6622/2014

श्याम लाल पंवार आनंदी देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर, इसके अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी निर्मल के माध्यम से पंवार पुत्र श्री श्याम लाल पंवार , उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी 135, राम नगर एक्सटेंशन, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला , जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य आयकर आयुक्त, सी.आर. बिल्डिंग, भगवान दास रोड, जयपुर।

2. सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त-1, जयपुर।

3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री प्रकुल खुराना , एडवोकेट

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री शांतनु शर्मा, एडवोकेट

सुश्री भावना लाढ़ा , एडवोकेट

(30/05/2025 को सुबह 07:55:33 बजे डाउनलोड किया गया)

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

23/04/2024

1. यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') की धारा 10 (23 सी) के तहत दायर आवेदन और संबंधित सुधार आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 26.04.2012 और 27.03.2014 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत ट्रस्ट है। वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान याचिकाकर्ता ने 1961 के अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत एक आवेदन दायर किया। आयकर अधिनियम, जयपुर के मुख्य आयुक्त द्वारा 16.04.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आवेदन को अस्वीकार क्यों न किया जाए क्योंकि ट्रस्ट केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर, आवेदन को 26.04.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने किशन अग्रवाल के एक हलफनामे के साथ धारा 154 के तहत एक आवेदन दायर किया। यह बयान दिया गया था कि

(30/05/2025 को सुबह 07:55:33 बजे डाउनलोड किया गया)

अभिसाक्षी के पिता गंभीर रूप से बीमार थे और 17.04.2012 को उनकी मृत्यु हो गई और सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदन इस गलत आधार पर खारिज कर दिया गया कि ट्रस्ट केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। यह छूट 1961 के अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (vi) के तहत, केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्थान से प्राप्त आय के लिए लागू की गई थी। आगे तर्क दिया गया कि 26.04.2012 का आदेश एक गैर-वाचनात्मक आदेश है।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार, ट्रस्ट शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में भी शामिल है।

5. मामले से निपटने वाले ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधि के पिता की बीमारी और मृत्यु के कारण याचिकाकर्ता सुनवाई का अवसर नहीं ले सका।

6. मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, आरोपित आदेशों को रद्द किया जाता है और मामले को संबंधित अधिकारी को वापस भेज दिया जाता है ताकि वह 1961 के अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय ले सके ।

(30/05/2025 को सुबह 07:55:33 बजे डाउनलोड किया गया)

7. याचिका स्वीकार की जाती है।

(भुवन गोयल), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

एचएस/रिया/13

रिपोर्ट योग्य :- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(30/05/2025 को सुबह 07:55:33 बजे डाउनलोड किया गया)